नवीन प्रकरण · 3410/2017

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

-----III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2017/3410

प्रकरण क्रमांक /२०१७ निगरानी

सुरेश पुत्र मंगल सिंह, निवासी गढ़ा मोहल्ला, वार्ड नम्बर १३, गोहद, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश)।

------ प्रार्थी

बिरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ------------ प्रतिप्रार्थी

दिनाँक 21-9-17 को श्री एम.ओ. के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत। 21/9/17

21-9-17

निगरानी बिरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, गोहद दिनांकी ३०-८-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र० क्र० ७३/१६-१७-अ-१२।

(R 29.9.17)

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, तहसीलदार महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, प्रकरण में धारा १२९ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों एवं इस धारा के आधीन बने नियमों का अनुपालन न होने से, की गई सीमांकन की कार्यवाही निरस्ती योग्य है।

३- यह कि, कानूनन प्रतिवेदन कोई साक्ष्य नहीं है।

४- यह कि, राजस्व निरीक्षक महोदय व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सीमांकन की कार्यवाही की न तो पुष्टि ही की गई है, और न ही उसे अमान्य ही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने में भूल की गई है।

५- यह कि, सीमांकन प्रतिवेदन पर प्रार्थी को न तो आपत्ति प्रस्तुत

क्रमशः---२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3410

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-19.	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	